



सत्यमेव जयते

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority

Wednesday, October 14, 2026

PART II - Advertisements, Notices

Notice

No legal responsibility is accepted for the publication of advertisements/ public notices in this part of the Kolkata Gazette. Persons notifying the advertisements/ publications will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc.

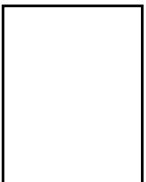
By Order,
Public Enterprises &
Industrial Reconstruction Department
Government of West Bengal

THE KOLKATA GAZETTE, EXTRAORDINARY, October 14, 2026

Application for Publication of Public Notice

I CHANDAN CHATTERJEE, son of LATE SUNIRMAL CHATTERJEE R/o 9, PORTLAND PARK, KOLKATA- 700 027, have been authorized by the SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA to publish the Rules & Regulations as per the enclosed text matter.

It is certified that, I on behalf of SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT KOLKATA have complied with all other legal requirements in this connection.



The information published in this Gazette Notification has been provided by me, this is true & correct to the best of my knowledge and belief.

If any legal issue arises in this regard at any stage, I shall be personally responsible for any consequences arising therefrom.



सयामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata

No. SMPA/01/2026-27

NOTIFICATION

To whomsoever it may concern

In compliance with the provisions of Rule 6 of Major Port Authorities (Fixation & Implementation of Scale of Rates, Fees and Conditions) Rules 2021, issued in Gazette Notification No. GSR 824 (E) in terms of provisions of Major Port Authorities Act, 2021, Part-I to IV of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling Services at Haldia Dock Complex of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, is hereby published for general information.

-Sd-
(C. Chatterjee)
Secretary
for and on behalf of
The Board of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata

स्टीवडोरिंग और तटीय संचालन सेवाओं हेतु अग्रिम शुल्क दरें

भाग I – परिभाषाएँ और सामान्य शर्तें

(1) परिभाषाएँ:

- i) "तटीय जहाज " का मतलब है कोई भी ऐसा जहाज जो खास तौर पर भारत के किसी बंदरगाह या जगह से भारत के ही किसी दूसरे बंदरगाह या जगह के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल होता हो और जिसके पास 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग' या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस हो।
- ii) "फ़ॉरेन-गोइंग वेसल" का मतलब है तटीय जहाज के अलावा कोई भी अन्य जहाज।
- iii) 'स्टीवडोरिंग' में बंदरगाह पर जहाजों पर किसी भी रूप में कार्गो को चढ़ाना, उतारना और सही ढंग से जमाना शामिल है।
- iv) 'शोर हैंडलिंग' में हुक पॉइंट तक/से कार्गो की व्यवस्था करना और उसे प्राप्त करना, घाटसे स्टैक यार्ड तक और इसके विपरीत इंटर-मोडल ट्रांसपोर्ट, और वैगन/ट्रक से/को कार्गो प्राप्त करना और पहुंचाना शामिल है।
- v) 'स्टीवडोर' एक अधिकृत एजेंट होता है जो बंदरगाहों और एंकरेज पर जहाजों पर किसी भी रूप में कार्गो/कंटेनर को चढ़ाने और उतारने का काम करता है और जिसे नियमों के तहत लाइसेंस दिया गया है।
- vi) 'शोर हैंडलिंग एजेंट' एक अधिकृत एजेंट होता है जो हुक पॉइंट तक/से कार्गो/कंटेनर प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, घाट से स्टॉक यार्ड तक और इसके विपरीत इंटर-मोडल ट्रांसपोर्ट करता है, और वैगन/ट्रक से/को कार्गो/कंटेनर प्राप्त करता है और पहुंचाता है।

II) सामान्य शर्तें:

(i) जहाज से जुड़े शुल्क (वीआरसी) लगाने के लिए जहाज के वर्गीकरण की प्रणाली-

(क) भारतीय झंडे वाला विदेशी यात्रा करने वाला जहाज, जिसके पास 'जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस' है, 'कस्टम कन्वर्ज़न ऑर्डर' के आधार पर तटीय यात्रा में बदल सकता है। ऐसा जहाज जो भारतीय बंदरगाह पर अपने पोर्ट ऑफ़ कॉल पर 'कस्टम कन्वर्ज़न ऑर्डर' के आधार पर कोस्टल रन में बदल जाता है, उसे आगे किसी कस्टम कन्वर्ज़न की ज़रूरत नहीं होती, जब तक वह भारतीय तट पर चलता रहता है।

(ख) विदेशी झंडे वाला विदेशी यात्रा करने वाला जहाज, 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग' द्वारा जारी किसी खास अवधि या यात्रा के लिए लाइसेंस और 'कस्टम कन्वर्ज़न ऑर्डर' के आधार पर तटीय रन में बदल सकता है।

(ii) रियायती कोस्टल दर और विदेशी दर पर जहाज से जुड़े शुल्क (वीआरसी) लगाने के मानदंड।

(क) ऐसे कन्वर्ज़न के मामलों में, लोड पोर्ट द्वारा कोस्टल दरें तब से लागू होंगी जब जहाज कोस्टल सामान चढ़ाना शुरू करता है।

(ख) ऐसे कन्वर्ज़न के मामलों में, कोस्टल दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक जहाज भारतीय बंदरगाह पर अपने आखिरी पड़ाव पर सामान उतारने का काम पूरा नहीं कर लेता। इसके तुरंत बाद, डिस्चार्ज पोर्ट पर

विदेशी यात्रा वाली दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

(ग) डायरेक्टर जनरल ऑफ़ शिपिंग से कोस्टल लाइसेंस प्राप्त समर्पित भारतीय कोस्टल जहाजों के लिए, कोस्टल दरों का लाभ उठाने के लिए किसी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) रियायती कोस्टल दर पर कार्गो से संबंधित शुल्क (सीआरसी) लगाने के मानदंड-

(क) 'दुनिया भर में और कोस्टल ऑपरेशन' के लिए जारी जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस वाले विदेशी यात्रा करने वाले भारतीय जहाज को हैंडलिंग शुल्क (एचसी) यानी जहाज से किनारे तक ट्रांसफर और घाट से/तक स्टोरेज यार्ड तक/से ट्रांसफर जिसमें घाट शुल्क शामिल है के संबंध में लागू कोस्टल दरें दी जानी चाहिए, यदि स्थिति निम्नलिखित हो:

(i) कोस्टल रूट पर चलने के लिए बदला गया हो और किसी भारतीय बंदरगाह से कोस्टल कार्गो ले जा रहा हो और किसी अन्य भारतीय बंदरगाह पर जाना हो।

(ii) कोस्टल रूट पर चलने के लिए नहीं बदला गया हो लेकिन किसी भारतीय बंदरगाह से कोस्टल कार्गो ले जा रहा हो और किसी अन्य भारतीय बंदरगाह पर जाना हो।

- सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ एक्साइज़ एंड कस्टम्स का सर्कुलर नंबर 15/2002-Cus. (दिनांक 25 फरवरी 2002) भारतीय झंडे वाले विदेशी यात्रा करने वाले जहाजों में बिना किसी कस्टम कन्वर्जन के एक भारतीय बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह तक कोस्टल कार्गो ले जाने की अनुमति देता है।

(ख) डायरेक्टर जनरल ऑफ़ शिपिंग द्वारा जारी विशिष्ट अवधि या यात्रा के लिए लाइसेंस और कस्टम कन्वर्जन ऑर्डर के आधार पर कोस्टल रूट पर चलने के लिए बदले गए विदेशी झंडे वाले जहाज के मामले में, किसी भारतीय बंदरगाह से लोड किए गए और किसी अन्य भारतीय बंदरगाह पर जाने वाले कोस्टल कार्गो/कंटेनर पर कोस्टल कार्गो/कंटेनर के लिए लागू दर से शुल्क लिया जाना चाहिए।

(iv) सभी शुल्क भारतीय रुपये में तय किए जाएंगे।

(v) यह टैरिफ बंदरगाह के अधिकृत स्टीवडोर और शोर हैंडलिंग एजेंटों द्वारा दी जाने वाली स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग सेवाओं पर लागू होगा और बीओटी / बीओओटी ऑपरेटरों या निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं होगा, जो 2005, 2008, 2013, 2019 और 2021 के टैरिफ दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। यह टैरिफ एसएमपीएद्वारा अधिकृत सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होगा, जिन पर एसएमपीए बोर्ड की मंजूरी से दरें लागू की जाती हैं।

(vi) यह टैरिफ पूरे बंदरगाह पर समान रूप से लागू होता है जहां निजी एजेंसियों या फर्मों द्वारा अधिकृत स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन किए जाते हैं।

(vii) (a) बताया गया टैरिफ अधिकतम सीमा है।

(ख) दरों की इस सूची में बताई गई दरें अधिकतम सीमा हैं; इसी तरह, छूट और छूट न्यूनतम सीमा हैं। अधिकृत एजेंट चाहे तो कम दरें ले सकता है और/या ज़्यादा छूट और डिस्काउंट दे सकता है।

(ग) अगर अधिकृत एजेंट चाहे, तो वह इस 'रेट स्केल' में बताई गई दरों को लागू करने की शर्तों को तर्कसंगत बना सकता है, बशर्ते ऐसा करने से यूज़र्स को प्रति यूनिट दर में राहत मिले और 'रेट स्केल' में तय यूनिट दरें

अधिकतम सीमा से ज़्यादा न हों।

(घ) हालाँकि, अधिकृत एजेंट को ऐसी कम दरों और/या उन्हें लागू करने की शर्तों में किए गए बदलावों के बारे में जनता को सूचित करना चाहिए। साथ ही, इन कम दरों और/या शर्तों में आगे होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी भी जनता को देनी चाहिए, बशर्ते तय की गई नई दरें, स्वीकार्य इंडेक्सेशन के अधीन रहते हुए, इस 'रेट स्केल' में बताई गई दरों से ज़्यादा न हों।

(viii) पोर्ट के अधिकृत स्टीवडोर और शोर हैंडलिंग एजेंट केवल उन्हीं सेवाओं के लिए शुल्क लेंगे जो वे खुद प्रदान करते हैं। लेबर की काल्पनिक बुकिंग या इसी तरह के अन्य काल्पनिक शुल्क लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(ix) अगर किसी ऐसे नए कार्गो को हैंडल करना है जो सूची में शामिल या अधिसूचित नहीं है, तो पोर्ट उस कार्गो की प्रकृति, भौतिक विशेषताओं और उसे हैंडल करने के तरीके के आधार पर उसे किसी भी कार्गो श्रेणी में रख सकता है।

(x) अन्य विविध गतिविधियों की सेवाओं, विशिष्ट कार्गो के लिए हैंडलिंग शुल्क और ऐसे कार्गो के लिए हैंडलिंग शुल्क के लिए शुल्क पोर्ट अथॉरिटी के एसओआर के अनुसार पोर्ट द्वारा ही लिए जाते रहेंगे।

(xi) टैरिफ कैप को महंगाई से जोड़ा जाता है, लेकिन यह उस संबंधित वर्ष की 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) में हुए बदलाव का केवल 60% ही होता है। इस बदलाव की घोषणा इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) या सरकार द्वारा तय किसी अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। टैरिफ कैप में ऐसा स्वचालित समायोजन हर साल किया जाएगा और एडजस्ट किया गया टैरिफ कैप संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक लागू रहेगा।

(xii) (क) कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख (सीओडी) से लेकर उसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक, टैरिफ उस वर्ष के लिए लागू इंडेक्स अपफ्रंट टैरिफ तक ही सीमित रहेगा, जो अधिकतम सीमा होगी। ऊपर बताए गए टैरिफ में हर साल अपने-आप बदलाव किया जाएगा। यह बदलाव 'नॉर्मेटिव टैरिफ गाइडलाइंस, 2016' के पैरा 2.10 में दिए गए इंडेक्सेशन के आधार पर होगा और पूरे लाइसेंस अवधि के दौरान लागू रहेगा।

(ख) हालाँकि, ऑपरेटर को ऑपरेशन के दूसरे साल से 60% डब्ल्यूपीआई इंडेक्सेशन के बजाय 100% WPI इंडेक्सेशन पाने का हक होगा, अगर वह 'बर्थिंग पॉलिसी' (लेटर नंबर PD-11033/73/2013-PT(pt), तारीख 16 जून 2016) में बताए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है। यह नियम 'ड्राई बल्क कार्गो' के लिए है, जैसा कि शिपिंग मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस (स्टेवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन्स के लिए अपफ्रंट टैरिफ तय करने के बारे में) के क्लॉज़ 7.1 में बताया गया है। 'ब्रेक बल्क कार्गो' के लिए, इस 'स्केल ऑफ़ रेट्स' के साथ बताए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लागू होंगे।

(ग) इस मकसद के लिए, ऑपरेटर को ऑपरेशन के वित्तीय वर्ष खत्म होने के 30 दिनों के अंदर संबंधित 'महापत्तन प्राधिकरण' से संपर्क करना होगा। उसे स्टेवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन्स, दोनों के लिए हर कार्गो के हिसाब से हासिल किए गए औसत परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की जानकारी देनी होगी।

(घ) 'महापत्तन प्राधिकरण' एक महीने के अंदर, ज़रूरत पड़ने पर कंसल्टेंट की मदद से, ऑपरेटर द्वारा हासिल किए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की पुष्टि करेगी।

(ङ) ऑपरेटर 60% के बजाय 100% इंडेक्सेशन लागू कर सकता है, अगर 'महापत्तन प्राधिकरण' उसे लिखित में सुनिश्चित करती है कि उसने अपफ्रंट टैरिफ के साथ बताए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हासिल कर लिए हैं।

(च) अगर 'महापत्तन प्राधिकरण' यह कन्फर्म करती है कि ऑपरेटर ने पिछले 12 महीनों में 'स्केल ऑफ़ रेट्स' में बताए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हासिल नहीं किए हैं, तो ऑपरेटर 100% डब्ल्यूपीआईइंडेक्सेशन का हकदार नहीं होगा। मानक टैरिफ दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार ऑपरेटर क्लॉज 2.9 में बताए अनुसार 60% इंडेक्सेशन के साथ टैरिफ लागू करना जारी रखेगा।

(छ) डब्ल्यूपीआई इंडेक्सेशन के लिए आधार अवधि 1 जनवरी 2025 होगी।

(xiii) सभी ऑपरेटरों को पोर्ट द्वारा लाइसेंस प्राप्त स्टीवडोरिंग/शोर हैंडलिंग कार्यों के संबंध में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक महीने के अंदर महापत्तन प्राधिकरण को कार्गो ट्रेफिक, शिप बर्थ डे आउटपुट और प्रति शिफ्ट आउटपुट पर वार्षिक रिपोर्ट देनी होगी। महापत्तन प्राधिकरण द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य जानकारी भी उन्हें समय-समय पर उपलब्ध करानी होगी।

(xiv) महापत्तन प्राधिकरण ऑपरेटरों से प्राप्त ऐसी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। हालाँकि, महापत्तन प्राधिकरण किसी ऑपरेटर के उस अनुरोध पर विचार करेगी जिसमें कुछ डेटा/जानकारी को प्रकाशित न करने के लिए कहा गया हो, क्योंकि वह व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हो सकती है। ऐसे अनुरोधों के साथ संबंधित डेटा/जानकारी की व्यावसायिक संवेदनशीलता उनके रेवेन्यू/ऑपरेशन पर लागू होगा और उस पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में विस्तृत कारण भी दिए जाने चाहिए। इस मामले में महापत्तन प्राधिकरण का फैसला आखिरी होगा।

(xv) अलग-अलग तरह के सामान के लिए तय किए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कम से कम उतने तो होने ही चाहिए जिन्हें ऑपरेटर हासिल कर सके।

(xvi) ऑपरेटर असल में कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसकी निगरानी मेजर पोर्ट अथॉरिटी हर तिमाही में करेगी। अगर तय परफॉर्मेंस हासिल करने में कोई कमी रह जाती है, तो पोर्ट ऑपरेटर के साथ हुए एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(xvii) अगर किसी यूज़र को इस बात की शिकायत है कि ऑपरेटर ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी के बताए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं किया है, तो वह मेजर पोर्ट अथॉरिटी के पास अपनी बात रख सकता है। इसके बाद अथॉरिटी उस शिकायत की जांच करेगी। मेजर पोर्ट अथॉरिटी एग्रीमेंट की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार जांच के नतीजों पर ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।

(xviii) किसी भी सामान के कुल वज़न या वॉल्यूम/क्षमता के आधार पर माप की गणना करते समय, 0.50 तक के फ्रैक्शन को 0.50 यूनिट माना जाएगा और 0.50 या उससे ज़्यादा के फ्रैक्शन को एक यूनिट माना जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ अलग से कुछ और बताया गया हो।

(xix) ऑपरेटर की वजह से होने वाली वाजिब सीमा से ज़्यादा देरी के लिए यूज़र्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा।

(xx) सरकार द्वारा जारी कोस्टल पॉलिसी के निर्देशों के अनुसार:

(क) थर्मल कोल, पीओएल (कूड ऑयल सहित), आयरन ओर और आयरन ओर पेलेट्स के अलावा सभी कोस्टल कार्गो/कंटेनर के लिए कार्गो/कंटेनर से जुड़े चार्ज, सामान्य कार्गो/कंटेनर से जुड़े चार्ज के 60% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।

(ख) कार्गो से जुड़े चार्ज के मामले में, शिप-शोर ट्रांसफर और के से/तक स्टोरेज यार्ड तक/से ट्रांसफर (व्हार्फ़ेज सहित) के लिए सभी संबंधित हैंडलिंग चार्ज पर रियायती दरें लागू होनी चाहिए।

(ग) कंटेनर से जुड़े चार्ज के मामले में, रियायत कम्पोजिट बॉक्स रेट पर लागू होती है। जहाँ आइटम के हिसाब से चार्ज लिए जाते हैं, वहाँ रियायत शिप-शोर ट्रांसफर और के से/तक स्टोरेज यार्ड तक/से ट्रांसफर के साथ-साथ कार्गो और कंटेनर पर व्हार्फ़ेज के सभी संबंधित चार्ज पर मिलेगी।

(जब भी MoPSW द्वारा कोस्टल कंसेशन पॉलिसी (तटीय रियायत नीति) के तहत जारी पॉलिसी की दिशा में कोई बदलाव होगा, तो पोर्ट द्वारा इसकी जानकारी दी जाएगी।)

(xxi) एसएमपी, कोलकाता द्वारा अपनी मौजूदा दरों के अनुसार वॉर्फ़ेज, स्टोरेज चार्ज और कार्गो से जुड़े अन्य चार्ज लिए जाते रहेंगे।

(xxii) समय-समय पर लागू होने वाले सभी टैक्स और ड्यूटी (GST सहित) का भुगतान अलग से करना होगा।

(xxiii) दरों की यह सूची (Scale of Rates) स्टेट गजट में दरों के नोटिफिकेशन की तारीख से 30 दिनों के बाद लागू होगी। अपफ्रंट टैरिफ (शुरुआती टैरिफ) की वैधता, दरों के लागू होने की तारीख से तीन (03) साल की अवधि के लिए होगी।

भाग-II

S.1 हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग एजेंट, जिन्हें कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग रेगुलेशन, 2020 के तहत ऐसा काम करने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा, वे नीचे दी गई दरों से ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे:

S.2. बर्थ पर मौजूद जहाज़ पर हैच में, जहाज़ की क्रेन का इस्तेमाल करके कार्गो उतारने के लिए इक्विपमेंट की सप्लाई और सर्विस का चार्ज।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)	
	क) बर्थ पर खड़े जहाज़ के हैच में ड्राई बल्क कार्गो को उतारने के लिए, जहाज़ की क्रेन का इस्तेमाल करके पे-लोडर की सप्लाई और सर्विस का चार्ज।		
1.	सभी प्रकार का आयातित ड्राई बल्क कार्गो	विदेशी 12.71	तटीय 7.63
	(ख) बर्थ पर खड़े जहाज़ पर ब्रेक बल्क कार्गो उतारने के लिए जहाज़ की क्रेन का इस्तेमाल करके, जहाज़ के हैच में मौजूद इक्विपमेंट की सप्लाई और सर्विस का चार्ज।		
क्र. सं.	सामग्री	विदेशी	तटीय
1.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट का वज़न 5 एमटी से ज्यादा)	74.13	44.48
2.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट का वज़न 5 एमटी तक)	47.94	28.76

3.	मशीनरी, प्रोजेक्ट कार्गो, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण आदि।	63.92	38.35
----	--	-------	-------

नोट:

(i) S.2 के तहत बताई गई दरें बर्थ पर जहाज़ से उतारे गए कार्गो की पूरी मात्रा पर एक समान रूप से लागू होंगी, चाहे उपकरण का इस्तेमाल असल में कितनी भी देर के लिए किया गया हो।

(ii) ऑन-बोर्ड उपकरण सेवाओं में जहाज़ पर हैच स्क्रायर पर कार्गो को इकट्ठा करने या ट्रांसफर करने के लिए उपयुक्त पे-लोडर/उपकरण की सप्लाई और सर्विस शामिल होगी। इसमें हैच के अंदर दूसरी जगहों से कार्गो को लाना, और पे-लोडर/उपकरण को जहाज़ पर ऊपर उठाने या नीचे उतारने के लिए स्लिंगिंग और अन-स्लिंगिंग करना भी शामिल है।

(iii) इस सेक्शन के तहत दरें एमएचसी/जहाज़ की क्रेन से भेजे जाने वाले एक्सपोर्ट कार्गो पर भी लागू होंगी।

S.3 किनारे पर हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए शुल्क

I. ड्राई बल्क कार्गो के लिए किनारे पर हैंडलिंग ऑपरेशन का शुल्क

क्र. सं.	सामग्री	एमएचसी / जहाज़ की क्रेन से उतारा गया और जेटी से सीधे कंसाइनी के परिसर तक पहुँचाया गया।		एमएचसी / जहाज़ की क्रेन से उतारा गया और पोर्ट परिसर के अंदर के क्षेत्र में स्थानांतरित करके स्टोर किया गया।	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
		दरें प्रति टन (रु. में)		दरें प्रति टन (रु. में)	
1.	सभी प्रकार के इम्पोर्ट ड्राई बल्क कार्गो। नोट: थर्मल कोल, आयरन ओर फ़ाइनस, लम्स और पेलेट्स के लिए केवल विदेशी दर लागू होगी।	45.38	27.23	116.15	70.18
2.	सभी प्रकार का एक्सपोर्ट ड्राई बल्क कार्गो। नोट: थर्मल कोल, आयरन ओर फ़ाइनस, लम्स और पेलेट्स के लिए केवल विदेशी दर लागू होगी।	45.38	27.23	108.40	65.26

नोट: अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन (वर्किंग बर्थ से 1 कि.मी से ज्यादा की दूरी पर हर अतिरिक्त कि.मी या उसके हिस्से के लिए) के लिए 2.50 रुपये प्रति एमटी का चार्ज लगेगा।

(i) ब्रेक बल्क कार्गो के लिए शोर हैंडलिंग ऑपरेशन का चार्ज

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)	
		विदेशी	तटीय
(क)	कार्गो को घाट पर उतारा जाता है और पोर्ट परिसर के भीतर स्टोरेज यार्ड तक पहुँचाया जाता है, या इसके विपरीत किया जाता है।		
1.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (जिसका यूनिट वज़न 5 एमटी से ज्यादा हो)।	289.08	173.45

2.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट वज़न 5 एमटी तक)	261.46	156.87
3.	कंटेनर (भरे हुए और खाली) (रु प्रति टीईयू) जहाज़ की क्रेन से	1316.59	792.26
4.	मशीनरी, प्रोजेक्ट कार्गो, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण आदि	328.12	196.87
5.	सभी बोरी वाले कार्गो (यूनिट वज़न 50 किलो नेट तक)	240.50	144.30

टिप्पणी:

(i) जेटी से सीधे कंसाइनी (सामान पाने वाले) के परिसर तक कार्गो के ट्रांसफर/डिलीवरी के लिए, ऊपर दी गई दर में हैंडलिंग एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट (डिलीवरी के लिए) की व्यवस्था शामिल नहीं है। इसकी व्यवस्था संबंधित आयातक/निर्यातक/कार्गो प्राप्तकर्ता को अपने खर्च पर करनी होगी।

(ii) जेटी, सड़क, रेल ट्रैक, स्टैकिंग यार्ड और अन्य क्षेत्रों से गिरे हुए कार्गो को इकट्ठा करना और साफ़ करना और उन्हें HDC के संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा तय की गई जगहों पर ठीक से स्टैक करना।

(iii) स्टोरेज यार्ड में कार्गो की स्टैकिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत के अनुसार की जाएगी।

(iv) बैग कार्गो (यूनिट बैग वज़न 50 kg तक) के मामले में, शोर हैंडलिंग चार्ज में जेटी और स्टोरेज यार्ड के बीच कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैंडलिंग एजेंट द्वारा ट्रक उपलब्ध कराना शामिल है, जिसमें इस ऑपरेशन में ट्रक पर लोड करना और उतारना भी शामिल है।

(v) ऊपर कॉलम (4) में बताई गई दर में HDC द्वारा तय स्टैक ऊंचाई सीमा के भीतर स्टोरेज यार्ड में कार्गो के ढेर लगाने/ऊंचे ढेर लगाने का चार्ज शामिल है।

(vi) ब्रेक बल्क कार्गो के मामले में जैसा कि क्र.सं. में बताया गया है। नंबर 1, 2, 3 और 4 के तहत शोर हैंडलिंग चार्ज में हैंडलिंग एजेंट द्वारा ट्रेलर की सप्लाई शामिल है। यह ट्रेलर जेटी और स्टोरेज एरिया के बीच कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, जिसमें ट्रेलर पर कार्गो को लोड और अनलोड करना भी शामिल है।

(vii) इस सेक्शन के तहत रेट्स, MHC/शिप क्रेन द्वारा शिप किए गए एक्सपोर्ट कार्गो की शोर हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए भी लागू होंगे।

(viii) 20 फीट से बड़े कंटेनर के लिए रेट्स, TEU रेट के 1.5 गुना होंगे।

S.4 डिलीवरी और रिसीविंग ऑपरेशन के चार्ज

S.4.1 डिलीवरी और रिसीविंग ऑपरेशन के चार्ज में हैंडलिंग एजेंट द्वारा ज़रूरत के हिसाब से अपने इक्विपमेंट, गियर, लेबर और मटीरियल का इस्तेमाल करके दी जाने वाली नीचे दी गई एक या ज़्यादा सर्विस शामिल होंगी।

(i) ज़रूरत के हिसाब से स्टोरेज एरिया से/पर ट्रकों, लॉरियों, डंपरों, ट्रेलरों आदि पर सामान लोड या अनलोड करना।

(ii) (क) समय-समय पर लागू रेलवे बोर्ड की मौजूदा अधिसूचना के अनुसार तय समय के भीतर वैगनों की लोडिंग/अनलोडिंग करना।

अगर सर्विस प्रोवाइडर इस मामले में कोई चूक करता है, तो प्रिंसिपल को लगने वाला डिमरेज/वैगन किराया शुल्क सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रिंसिपल को वापस किया जाएगा।

(ख) वैगनों पर सामान की सही लोडिंग सर्विस प्रोवाइडर और उनके प्रिंसिपल के बीच तय व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।

कोयला, मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर और किसी भी अन्य सूखे थोक (dry bulk) सामान के लिए, जिसका स्टोरेज फैक्टर 1.5 घन मीटर प्रति मीट्रिक टन तक है, वैगन के चार्ज करने योग्य वज़न (वैगन के चार्ज करने योग्य वज़न और लोडिंग के बाद वैगन के वास्तविक वज़न के बीच का अंतर) की तुलना में अधिकतम स्वीकार्य अंडर-लोडिंग मात्रा 2 (दो) मीट्रिक टन प्रति वैगन होगी। उक्त मानक को बनाए रखने में विफलता के मामले में, एजेंट को प्रिंसिपल को उस रेलवे फ्रेट (माल ढुलाई) की लागत का मुआवज़ा देना होगा जो प्रिंसिपल को प्रति वैगन 2 (दो) मीट्रिक टन से अधिक अंडर-लोड की गई मात्रा के लिए उठानी पड़ी है। अन्य सभी सूखे थोक सामानों के लिए, जिनका स्टोरेज फैक्टर 1.5 घन मीटर प्रति मीट्रिक टन से अधिक है, ऐसे सामान को वैगन की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई तक लोड किया जाना चाहिए।

(ग) रेक की लोडिंग/अनलोडिंग के संबंध में अपने प्रिंसिपल और HDC के ट्रैफिक ऑपरेशन्स (रेलवे) डिवीजन के साथ करीबी तालमेल बनाए रखना, उस समय लागू सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना और HDC के रेलवे डिवीजन की सलाह के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करना।

(iii) सामान मिलने पर स्टोरेज यार्ड में सामान को स्टैक करना।

(iv) ज़रूरत पड़ने पर, स्टोरेज जगहों से वैगन लोडिंग एरिया तक बोरी वाले सामान, प्रोजेक्ट कार्गो, लोहा और

स्टील कार्गो और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो के परिवहन के लिए ट्रकों, लॉरियों, ट्रेलरों आदि को तैनात करना और उनकी सेवा लेना।

S.4.2 (क) स्टोरेज पर सड़क मार्ग से **मैन्युअल रूप से** ड्राई बल्क कार्गो प्राप्त करने का शुल्क पोर्ट परिसर के भीतर लागू शुल्क के समान है।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सूखा थोक कार्गो	83.59

(ख) पोर्ट परिसर के अंदर स्टोरेज एरिया में पे-लोडर के ज़रिए सड़क मार्ग से ड्राई बल्क कार्गो की डिलीवरी के लिए शुल्क।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सूखा थोक कार्गो	34.83

S.4.3 पोर्ट परिसर के अंदर स्टोरेज एरिया से रेल द्वारा ड्राई बल्क कार्गो की डिलीवरी के लिए शुल्क (इसमें वैगन लोडिंग एरिया में कार्गो को इकट्ठा करना, लोडिंग के बाद क्लीयरेंस और बचे हुए कार्गो को वापस शिफ्ट करके स्टोरेज एरिया में फिर से स्टैक करना शामिल है)।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सूखा थोक कार्गो	46.98

S.4.4 पोर्ट परिसर के अंदर स्टोरेज एरिया में वैगन से मैनुअल रूप से अनलोड करके ड्राई बल्क कार्गो प्राप्त करने का शुल्क, जिसमें इक्विपमेंट की मदद से वैगन के पास से रेल यार्ड के ठीक पीछे वाले एरिया तक कार्गो को शिफ्ट करना भी शामिल है।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सूखा थोक कार्गो	110.81

S.4.5 पोर्ट परिसर के अंदर स्टोरेज एरिया से/तक सड़क मार्ग से बैग वाले कार्गो और कंटेनर की डिलीवरी/प्राप्ति के लिए शुल्क।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सभी तरह का बोरी में भरा सामान (यूनिट वज़न 50 किलो नेट तक)	144.84
2क	बिना मशीन वाले यार्ड में भरा हुआ कंटेनर (रेट प्रति टीईयू)	1337.03
2ख	बिना मशीन वाले यार्ड में खाली कंटेनर (रेट प्रति टीईयू)	668.52

20 फ़ीट से बड़े कंटेनर के लिए, दरें टीईयू दरों की 1.5 गुना होंगी।

S.4.6 रेल द्वारा बोरीबंद कार्गो की डिलीवरी/प्राप्ति के लिए शुल्क (जिसमें शेड में ट्रकों पर कार्गो की मैनुअल लोडिंग, ट्रकों द्वारा शेड से वैगन तक कार्गो का परिवहन और उसके बाद लॉरी से वैगन पर कार्गो की लोडिंग शामिल है)।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सभी प्रकार का बोरी में भरा सामान (यूनिट वज़न 50 किलोग्राम नेट तक)	314.78

S.4.7 पोर्ट परिसर के अंदर बने स्टोरेज एरिया से/वहाँ तक सड़क मार्ग से मशीनरी, प्रोजेक्ट कार्गो, स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट की डिलीवरी/प्राप्ति के लिए शुल्क।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	मशीनरी, प्रोजेक्ट कार्गो, स्पेयर पार्ट्स और	यूनिट का वज़न 15 एमटी तक। 124.10
2.		यूनिट का वज़न 15 एमटी से ज़्यादा। 148.45

टिप्पणी: 40 एमटी से ज्यादा वजन वाले प्रोजेक्ट कार्गो को सीधे ट्रांसपोर्ट वाहनों पर लोड या उनसे अनलोड किया जाता है, और डिलीवरी या रिसीविंग के समय दोबारा लोडिंग या अनलोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है।

S.4.8 पोर्ट परिसर के अंदर स्टोरेज एरिया से/तक सड़क मार्ग द्वारा आयरन और स्टील कार्गो और अन्य ब्रेक बल्क कार्गो की डिलीवरी/रिसीविंग के लिए शुल्क।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट का वजन 5 एमटी से ज्यादा)	130.02
2.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट का वजन 5 एमटी तक)	85.93

S.4.9 रेल द्वारा आयरन और स्टील कार्गो तथा अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो की डिलीवरी/प्राप्ति के लिए शुल्क (इसमें स्टोरेज एरिया में ट्रेलर पर कार्गो की लोडिंग, ट्रेलर द्वारा शेड से वैगन तक कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद ट्रेलर से वैगन पर कार्गो की लोडिंग शामिल है)।

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (5 एमटी से ज्यादा)	197.32
2.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (5 एमटी तक)	150.95

S.4.10 एसएमपीके के एचडीसी में बंद डॉक के अंदर जहाजों पर/से लोडिंग/अनलोडिंग कार्यों के लिए शुल्क:

जहाज़ की क्रेन का इस्तेमाल करके कार्गो को लोड/अनलोड करने के लिए स्टीवडोरिंग ऑपरेशन (हैच में इक्विपमेंट की सप्लाई और सर्विस के बिना) का चार्ज			
क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)	
		विदेशी	तटीय
1.	कोकिंग कोल, सभी तरह के कोयले, कोक और अयस्क, चूना पत्थर, और अन्य बिना बताए गए सूखे बल्क कार्गो, जिन्हें ग्रेब से उतारा जाता है।	31.37	18.82
2.	स्लिंग के ज़रिए सभी तरह के आयात और निर्यात वाले सूखे बल्क कार्गो।	33.22	19.93
3.	खाद, चीनी, नमक (ग्रेब से उतारे जाने वाले)	41.82	24.72

4.	गैब से लोड किए जाने वाले निर्यात के सूखे बल्क कार्गो।	24.13	14.48
5.	बैग में पैक कार्गो (जिसका यूनिट वज़न 50 किलोग्राम नेट तक हो)	118.09	70.85
6.	नॉन-एमएचसी बर्थ पर कंटेनर (भरे हुए/खाली) (टीईयू के हिसाब से दर)	504.56	302.75
7.	नॉन-मैकेनाइज़्ड बर्थ पर जहाज़ों में कंटेनरों की लैशिंग/डी-लैशिंग, और ट्रिस्ट लॉक लगाना और हटाना।	144.03	144.03
8.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक बल्क कार्गो (यूनिट वज़न 5 एमटी से ज़्यादा)	107.11	64.27
	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक बल्क कार्गो (यूनिट वज़न 5 एमटी तक)	118.09	70.85
9.	मशीनरी, प्रोजेक्ट कार्गो, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण वगैरह।	135.96	81.58

नोट:

(i) अधिकृत एजेंट बर्थ पर समुद्री जहाज़ों से कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग का काम करेंगे (शोर क्रेन से सुसज्जित बर्थ को छोड़कर)। ऊपर दी गई दर में जहाज़ के हैच के अंदर उपकरण चलाने का खर्च शामिल नहीं है।

(ii) अधिकृत एजेंटों को आयातित कार्गो के मामले में हैच के अंदर रिब/फ्रेम की सफ़ाई और कार्गो की झाड़ू-बुहार करनी होगी; निर्यात कार्गो के मामले में हैच के अंदर कार्गो की ट्रिमिंग (व्यवस्थित करना) और ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ के डेक की सफ़ाई भी करनी होगी।

(iii) थर्मल कोल, आयरन ओर (लौह अयस्क), लम्प्स और आयरन ओर पेलेट्स के लिए, विदेशी दरों का 60% वाली कोस्टल दरें लागू नहीं होंगी।

(iv) 20 फ़ीट से बड़े कंटेनर के लिए दरें TEU दर की 1.5 गुना होंगी।

S.4.11 डॉक परिसर के भीतर एक स्टोरेज यार्ड से दूसरे स्टोरेज यार्ड तक, या स्टोरेज यार्ड से डॉक परिसर के अंदर रेलवे साइडिंग तक सूखे बल्क कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन का शुल्क:

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)
1.	सभी प्रकार का सूखा बल्क कार्गो (आयात और निर्यात)	84.05

नोट:

(i) ऊपर बताई गई दर में स्टोरेज यार्ड/रेलवे साइडिंग पर डंपर में कार्गो लोड करना, डिस्टिनेशन पॉइंट तक ट्रांसपोर्टेशन, और अनलोडिंग पॉइंट/रेलवे साइडिंग पर कार्गो को अनलोड और स्टोर करना (जैसा भी मामला हो) शामिल है।

(ii) ऊपर बताई गई दर में सड़क, रेलवे ट्रैक, स्टैकिंग यार्ड और अन्य क्षेत्रों से गिरे हुए कार्गो को इकट्ठा

करना और साफ करना, और HDC के संबंधित अधिकारियों द्वारा तय की गई जगहों पर उन्हें ठीक से स्टैक करना शामिल है।

S.5 प्रदर्शन मानकों:

S.5.1 सूखा थोक कार्गो:

(क) इस एसओआर के तहत दरें लागू करने के लिए, निम्नलिखित प्रोडक्टिविटी लेवल हासिल करना ज़रूरी होगा।

क्र. सं.	कार्गो ग्रुप	प्रति शिप-दिन टन में उत्पादकता मानक (काम करने के तरीके के आधार पर)	
		एमएचसी द्वारा (एक साथ काम करने वाले 2 एमएचसी)	जहाज़ की क्रेन से
1	सभी तरह का कोयला	20,000	8,300
2	सभी तरह का कोक	20,000	7,800
3	चूना पत्थर	20,000	13,700
4	मैंगनीज़ अयस्क	20,000	9,800
5	लौह अयस्क के बारीक कण, पेलेट्स और ढेले	20,000	13,000
6	MOP, रॉक फॉस्फेट, सल्फर	20,000	8,000
7	क्लिंगर, जिप्सम	20,000	14,600
8	चीनी	20,000	8,000

नोट:

- सिंगल एमएचसी के साथ ऑपरेशन के मामले में, प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स 10,000 एमटी प्रति दिन होंगे।
- स्टीवडोर और शोर हैंडलिंग एजेंट को ऊपर बताए गए प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स (उत्पादकता के मानक) या लोडिंग/अनलोडिंग के नियमों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग एजेंट की वजह से जहाज़ की लोडिंग/अनलोडिंग में कोई देरी न हो।

(ख) डब्ल्यूपीआई (थोक मूल्य सूचकांक) में बदलाव के 100% तक टैरिफ को एडजस्ट करने के मकसद से, 'ड्राई बल्क कार्गो' के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स (प्रदर्शन मानक) लागू होंगे। ये मानक 16.06.2016 के लेटर नंबर PD-11033/73/2030-PT(pt) में दी गई बर्थिंग पॉलिसी और शिपिंग मंत्रालय द्वारा स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए अपफ्रंट टैरिफ तय करने के लिए जारी गाइडलाइंस के क्लॉज़ 7.1 में बताए गए हैं।

S.5.2 जहाज़ की क्रेन से संचालित ब्रेक-बल्क कार्गो:

क्र. सं.	सामग्री	प्रोडक्टिविटी मानक प्रति शिफ्ट (एमटी)
1.	सभी बैग कार्गो	450
2.	प्रोजेक्ट कार्गो, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स	300
3.	सीआर शीट्स, एचआर प्लेट्स, स्टील शीट्स, स्टील स्लैब्स	805
4.	स्टील कॉइल्स, एचआर कॉइल्स, डबल्यूआर कॉइल्स	1500
5.	स्टील बिलेट्स, स्टील ब्लूम्स, स्टील रेल्स, पाइप्स और ट्यूब्स	903
6.	बिना मशीनीकृत बर्थ पर कंटेनर (भरे हुए/खाली) (टीईयू में)	60

S.5.3 सामान लेने और पहुँचाने के काम के लिए नियम

- रेल से आने-जाने वाले सामान के मामले में, हैंडलिंग एजेंट को समय-समय पर लागू रेलवे नियमों के अनुसार तय 'फ्री टाइम' (मुफ्त समय) के अंदर रेलवे रैक पर सामान चढ़ाने/उतारने का काम पूरा करना होगा। अगर तय 'फ्री टाइम' में रैक पर सामान चढ़ाने/उतारने का काम पूरा नहीं हो पाता है, तो हैंडलिंग एजेंट को संबंधित प्रिंसिपल को लागू डिमरेज (देरी का शुल्क) देना होगा।
- हालाँकि, सड़क मार्ग से आने-जाने वाले सामान के मामले में, डिलीवरी/प्राप्ति के लिए सामान चढ़ाने/उतारने के कोई नियम तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इम्पोर्टर/एक्सपोर्टर पर निर्भर करती है और इसमें हैंडलिंग एजेंट की कोई भूमिका नहीं होती है।

S.5.4 हर जहाज़ के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए ड्राई बल्क कार्गो की शोर हैंडलिंग के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट की सप्लाई:

- हर शिफ्ट में डंपर: 25
- हर शिफ्ट में जेटी पर पे-लोडर: 4
- हर शिफ्ट में स्टोरेज यार्ड में पे-लोडर (वैगन लोडिंग सहित): 5
- हर शिफ्ट में एक्सकेवेटर: 2

भाग – III

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपीके) के हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) में एंकरेज/लाइटरेज/टॉप-अप पॉइंट्स और बार्ज हैंडलिंग पर स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग ऑपरेशन्स के लिए पहले से तय टैरिफ

S.1 एंकरेज/लाइटरेज/टॉप-अप पॉइंट्स पर जहाज़ों पर/से लोडिंग/अनलोडिंग ऑपरेशन्स (इक्विपमेंट और मैनपावर की तैनाती सहित) के लिए कोलकाता डॉक सिस्टम की मंज़ूर दरों के अनुसार चार्ज लागू होंगे।

S.2 एसएमपीके के एचडीसी के इपाउंडेड डॉक के अंदर बार्जेस पर/से लोडिंग/अनलोडिंग ऑपरेशन्स के लिए चार्ज:

स्टीवडोरिंग ऑपरेशन के लिए शुल्क, जिसमें शोर क्रेन/एक्सकेवेटर का उपयोग करके कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग के लिए हैच में उपकरणों की आपूर्ति और सेवा शामिल है			
क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)	
		विदेशी	तटीय
1.	खाद का कच्चा माल, रॉक फॉस्फेट, सल्फर	98.23	58.94
2.	चीनी और अन्य सभी ड्राई बल्क कार्गो (आयात)	76.87	46.12
3.	सभी प्रकार का कोयला (थर्मल कोयले को छोड़कर)-आयात	68.00	40.80
4.	थर्मल कोयला-आयात	63.15	63.15
5.	सभी प्रकार का निर्यात ड्राई बल्क कार्गो	46.68	28.01
6.	50 किलोग्राम तक शुद्ध वजन वाले बैग कार्गो	144.83	86.90
7.	कंटेनर (भरा हुआ/खाली) टीईयू में (रु.प्रति टीईयू #	2274.77	1364.86
8.	लोहा और स्टील उत्पाद, प्रोजेक्ट कार्गो, मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स, जंबो बैग, अन्य सभी ब्रेक-बल्क कार्गो (हैच के अंदर उपकरण सहायता के साथ)	142.77	85.66
9.	लोहा और स्टील उत्पाद, प्रोजेक्ट कार्गो, मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स, जंबो बैग, अन्य सभी ब्रेक-बल्क कार्गो (हैच के अंदर उपकरण सहायता के बिना)	97.52	58.51

नोट: i) थर्मल कोल, आयरन ओर फाइन्स, लम्प्स और आयरन ओर पेलेट्स के लिए, विदेशी दरों के 60% के बराबर कोस्टल दरें लागू नहीं होंगी।

ii) कंटेनर के मामले में प्रति टीईयू दर में शोर हैंडलिंग सर्विस भी शामिल है ।

iii) 20 फ़ीट से बड़े कंटेनर के लिए दरें टीईयू दर की 1.5 गुना होंगी।

S.3 इम्पाउंडेड डॉक के अंदर बार्जेस पर लोड/अनलोड किए जाने वाले कार्गो के लिए शोर हैंडलिंग ऑपरेशन का शुल्क

(i) ड्राई बल्क कार्गो के लिए शोर हैंडलिंग ऑपरेशन का शुल्क:

क्र. सं.	कार्गो	किनारे पर मौजूद क्रेन/एक्सकेवेटर से उतारा गया और सीधे जेटी से कंसाइनी के	इसे किनारे पर मौजूद क्रेन या एक्सकेवेटर से उतारा जाता है और फिर पोर्ट परिसर के भीतर ही
----------	--------	--	--

		परिसर तक पहुँचाया गया।		स्टोरेज में ले जाकर रखा जाता है।	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		दर प्रात टन (रु. म)			
		विदेशी	तटीय	विदेशी	तटीय
1	सभी प्रकार का आयातित ड्राई बल्क कार्गो	51.97	31.18	140.48	84.29
2	सभी प्रकार का निर्यातित ड्राई बल्क कार्गो	47.35	28.41	143.12	85.87

नोट: थर्मल कोल, आयरन ओर फ़ाइन्स, लम्प्स और आयरन ओर पेलेट्स के लिए, विदेशी दरों के 60% पर कोस्टल दरें लागू नहीं होंगी।

(ii) ब्रेक बल्क कार्गो के लिए शोर हैंडलिंग ऑपरेशन का शुल्क:

क्र. सं.	सामग्री	दरें प्रति टन (रु. में)	
(क)	कार्गो को घाट पर उतारकर पोर्ट परिसर के भीतर स्टोरेज यार्ड तक ले जाना या इसके विपरीत।	विदेशी	तटीय
1.	लोहे और स्टील के उत्पाद और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट का वज़न 5एमटी से ज़्यादा)	275.31	168.19
2.	स्टील बिलेट्स, स्टील ब्लूम्स, स्टील शीट्स, स्टील रेल्स, डब्ल्यूआर कॉइल्स, पाइप्स और ट्यूब्स, जंबो बैग्स, वुड पल्प और अन्य ब्रेक-बल्क कार्गो (यूनिट का वज़न 5 एमटी तक)	274.53	164.72
3.	बैग में पैक कार्गो (यूनिट का नेट वज़न 50 किलो तक)	240.50	144.30
4.	मशीनरी, प्रोजेक्ट कार्गो, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण वगैरह।	328.12	195.07

नोट:

(i) जेटी से सीधे कंसाइनी (सामान पाने वाले) के परिसर तक कार्गो के ट्रांसपोर्ट/डिलीवरी के लिए, ऊपर दिए गए रेट में हैंडलिंग एजेंट द्वारा ट्रांसपोर्ट (डिलीवरी के लिए) की सुविधा शामिल नहीं है। इसकी व्यवस्था संबंधित इंपोर्टर/एक्सपोर्टर/रिसीवर को अपने खर्च पर करनी होगी।

(ii) बैग कार्गो (एक बैग का नेट वज़न 50 किलो तक) के मामले में, शोर हैंडलिंग चार्ज में हैंडलिंग एजेंट द्वारा जेटी और स्टोरेज यार्ड के बीच कार्गो के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक उपलब्ध कराना शामिल है, जिसमें ट्रक पर लोड करना और उतारना भी शामिल है।

(iii) ऊपर S.3 (i) के कॉलम (4) में बताए गए रेट में स्टोरेज यार्ड में ड्राई बल्क कार्गो के ढेर लगाने/ऊंचे ढेर लगाने का चार्ज शामिल है।

(iv) ब्रेक बल्क कार्गो के मामले में, शोर हैंडलिंग चार्ज में हैंडलिंग एजेंट द्वारा जेटी और स्टोरेज एरिया के बीच कार्गो के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेलर उपलब्ध कराना शामिल है, जिसमें ट्रेलर पर लोड करना और उतारना भी शामिल है।

S.4 बार्ज से/पर लोड/अनलोड किए गए कार्गो की डिलीवरी/रिसीविंग ऑपरेशन के लिए चार्ज और तरीके वही होंगे जो ऊपर भाग II के S.4.1 से S.4.9 में बताए गए हैं।

S.5 इंपाउंड डॉक के अंदर बार्ज पर/से ड्राई बल्क कार्गो को लोड/अनलोड करने के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस प्रकार हैं:

बार्ज से जुड़े कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए रेट लागू करने के मकसद से, नीचे दिए गए प्रोडक्टिविटी लेवल को हासिल करना लागू होगा।

क्र.सं.	सामग्री	प्रोडक्टिविटी के मानक (टन में) प्रति जहाज़-दिन
1.	लौह अयस्क और लौह अयस्क के छर्रे (पेलेट्स)	3500
2.	थर्मल कोयला	2800
3.	सभी प्रकार के कोयले (थर्मल कोयले को छोड़कर)	2600
4.	चूना पत्थर	2400
5.	मैंगनीज अयस्क	2310
6.	मेट कोक	2310
7.	रॉक फॉस्फेट और सल्फर	1800
8.	सीमेंट क्लिंकर	2000
9.	जिप्सम	2400
10.	चीनी और अन्य सभी सूखा बल्क कार्गो	2000
11.	बैग कार्गो (जिसमें खाद, अनाज, चीनी,	600
12.	सीमेंट आदि हों और जिनका वजन 50 किलो तक हो)	60
13.	गैर-एम एच सी बर्थ पर कंटेनर (भरे हुए/खाली) (टीईयू में)	900
14.	लोहा और स्टील उत्पाद, प्रोजेक्ट कार्गो, मशीनरी	900

टिप्पणी:

(i) परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स (काम के मानक) को एक सिंगल शोर क्रेन/एक्स्केवेटर के साथ ऑपरेशन के लिए तय किया गया है।

(ii) शोर हैंडलिंग एजेंटों को लोडिंग/अनलोडिंग के ऊपर बताए गए प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स (उत्पादकता मानकों) का पालन करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग एजेंट की वजह से बार्ज की लोडिंग/अनलोडिंग में कोई देरी न हो।

S.6. बार्ज के ज़रिए कार्गो हैंडलिंग के लिए डिलीवरी लेने/देने के ऑपरेशन के मानक।

(i) रेल से आने वाले कार्गो के मामले में, हैंडलिंग एजेंटों को समय-समय पर लागू रेलवे नियमों के

अनुसार तय समय के भीतर रेलवे रैक पर/से कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग पूरी करनी होगी। अगर तय 'फ्री टाइम' के भीतर रैक की लोडिंग/अनलोडिंग पूरी नहीं होती है, तो लागू होने वाला डेमरेज (विलंब शुल्क) हैंडलिंग एजेंट को संबंधित आयातक/निर्यातक को देना होगा।

(ii) हालांकि, सड़क मार्ग से आने वाले कार्गो के मामले में, डिलीवरी/प्राप्ति के लिए कार्गो की लोडिंग/अनलोडिंग के कोई मानक तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आयातक/निर्यातक पर निर्भर करती है और इसमें हैंडलिंग एजेंटों की कोई भूमिका नहीं होती है।

भाग-IV

स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग एजेंटों द्वारा ड्राई बल्क कार्गो के इंपोर्टर्स/एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली उन अतिरिक्त सेवाओं के लिए शुल्क, जो भाग-II और III में बताई गई किसी भी सेवा में शामिल नहीं हैं।

स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग एजेंट, अपने प्रिंसिपल के अनुरोध पर ड्राई बल्क कार्गो की हैंडलिंग के लिए दी जाने वाली सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं। ऐसी सेवाएं वैकल्पिक होती हैं और भाग-II और III में बताए गए स्टीवडोरिंग और शोर हैंडलिंग शुल्कों में शामिल नहीं होती हैं।

क्र.सं.	सेवाएं	दरें प्रति टन (रु. में)
1	इंपोर्ट कार्गो को रेलवे से भेजने के लिए लेबर की सप्लाई: i) इंपोर्ट कार्गो की लोडिंग और डिलीवरी के लिए लगाए गए खाली वैगनों की ज़रूरत पड़ने पर सफ़ाई करना; ii) एचडीसी द्वारा तय की गई जगहों पर वैगन की सफ़ाई से निकले कचरे को जमा करना; iii) वैगन के दरवाज़े खोलना और बंद करना, जिसमें प्रिंसिपल की ज़रूरत के अनुसार लकड़ी के खूंटे/तार से दरवाज़ों को सुरक्षित रूप से लॉक करना भी शामिल है; iv) वैगन में मौजूद इंपोर्ट कार्गो को ट्रिम करना और उस पर चूने का छिड़काव करना; v) प्रिंसिपल की ज़रूरत के अनुसार वैगनों को तिरपाल से ढकना; vi) प्रिंसिपल की ज़रूरत के अनुसार वैगनों पर लेबल लगाना और ज़रूरत के अनुसार बांस की चटाइयां बिछाना; vii) वैगनों में ड्राई बल्क कार्गो भेजने के लिए ज़रूरी अन्य सभी सहायक सेवाएं;	15.00
2	प्लॉट पर कार्गो स्टोरेज से जुड़ी सेवाएं, जैसे कि सफ़ाई, इकट्ठा करना, दोबारा ढेर लगाना, रिकवरी, पंप से पानी निकालना, आग बुझाना, कार्गो को मिलाना, धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव और सभी तरह की सहायक सेवाएं आदि।	20.00
3	प्लॉट पर तिरपाल से ढंकने का काम, प्रति माह या उसके किसी हिस्से के लिए (तिरपाल की सप्लाई सहित)	5.42

4	स्टॉक अकाउंटिंग, क्लर्क का काम, परमिट का खर्च, कोई अन्य कागज़ी कार्रवाई और सेक्रेटेरियल सर्विस।	5.00
		प्रति पाली दर (रु. में)
5	अतिरिक्त उपकरण (ईंधन और ऑपरेटर सहित): (क) पे-लोडर (प्रति यूनिट)। (ख) डंपर (प्रति यूनिट)। (ग) एक्स्केवेटर (प्रति यूनिट)।	(क) रु.15,000/- प्रति पाली (ख) रु.6,500/- प्रति पाली (ग) रु.15,000/- प्रति पाली

	सीरियल नंबर 5 के लिए नोट: 1. यह चार्ज तभी लागू होगा जब कई प्लॉट में एक साथ सामान रखने और/या सामान का ऊंचा ढेर लगाने जैसी स्थितियों में, क्लॉज़ S5.4 के अनुसार तय स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट से ज़्यादा इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत हो। 2. अतिरिक्त उपकरणों की तैनाती केवल विशिष्ट अनुरोधकर्ता के लिए और प्रिंसिपल की विशिष्ट सहमति से ही की जानी चाहिए।	
6	प्रधान की आवश्यकता के अनुसार, रेल से भेजने के लिए तिरपाल और अन्य विविध सामग्रियों की आपूर्ति।	सामग्री की खरीद लागत और उस पर 10% हैंडलिंग चार्ज। ये चार्ज प्रति रेक या प्रति वैगन के आधार पर वसूले जाएंगे।

ह0/-
(सी. चटर्जी)
सचिव
कृते श्यामा प्रसाद मुकर्जी पोट, कोलकाता के बोर्ड

UPFRONT TARIFF FOR STEVEDORING AND SHORE HANDLING SERVICES

Part I - Definitions and General Conditions

(I) Definitions:

- (i) “Coastal vessel” shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Directorate General of Shipping/ Competent Authority.
- (ii) “Foreign-going vessel” shall mean any vessel other than coastal vessel.
- (iii) ‘Stevedoring’ includes loading and unloading and stowage of cargo in any form on board the vessels in Port.
- (iv) ‘Shore handling’ includes arranging and receiving the cargo to/from the hook point, inter modal transport from wharf to stack yard and vice-versa and also receiving and delivering of cargo from/to wagons /trucks.
- (v) ‘Stevedore’ is an authorized agent for loading and unloading of cargo / container in any form on board the vessels in ports and anchorages and to whom the license has been given under regulations.
- (vi) ‘Shore handling agent’ is an authorized agent for arranging the receiving the cargo / container to/ from the hook point, intermodal transport from wharf to stock yard and vice-versa and also receiving and delivering of cargo / container from/ to wagons/ trucks.

(II) General Conditions:

- (i) System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC)
 - (a) A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading License can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
 - (b) A Foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a License for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping and a custom conversion order.
- (ii) Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign Rate.
 - (a) In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.

- (b) In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (c) For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal license from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (iii) Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate
- (a) Foreign going Indian Vessel having General Trading License issued for 'worldwide and coastal' operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:
 - (i) Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii) Not converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

** The Central Board of Excise and Customs Circular no.15/2002-Cus. Dated 25 February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian port to another port in India, in Indian flag foreign going vessels without any custom conversion.*
 - (b) In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a Licence for Specified Period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container.
- (iv) All the charges shall be denominated in Indian Rupees.
- (v) This tariff shall be applicable for Stevedoring and Shore Handling Services rendered by authorized Stevedores and Shore Handling Agents of the Port and not applicable for BOT / BOOT Operators or any other arrangement for Private Sector participation who are governed by the Tariff Guidelines of 2005, 2008, 2013, 2019 and 2021. The tariff shall also be applicable to Service providers authorized by SMPA, on whom, the rates are made applicable with approval of the Board of SMPA.
 - (vi) This tariff is applicable uniformly to the entire port where the authorized stevedoring and shore handling operations are carried out by private agencies or firms.
 - (vii) (a) The tariff notified is ceiling level.

- (b) The rates prescribed in this Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The authorized agent may, if he so desires, charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.
 - (c) The authorized agent may also, if he so desire, rationalize the prescribed conditions governing the application of rates prescribed in this Scale of Rates if such rationalization gives relief to the users in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling level.
 - (d) The authorized agent should, however, notify the public such lower rates and/ or rationalization of the conditions governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and/or in the conditions governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates specified in this Scale of Rates subject to allowable indexation.
- (viii) The authorized Stevedores and Shore Handling Agents of the Port shall charge only for services provided by him. No notional booking of labour and other similar notional charges would be permitted.
- (ix) If any new cargo is to be handled which is not notified/ not included in the list, then the port may categorize that cargo under any one of the cargo categories based on the nature, physical characteristics and the method of handling that cargo.
- (x) Services for other miscellaneous activities and also the handling charges for specific cargoes when Port takes custody of cargo as well as the handling charges for cargo where Port Authority provides such services to the customers directly or by engaging any contractor shall continue to be levied by Port as per SOR of Port Authority.
- (xi) Tariff caps are indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in the Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January and 31st December of the relevant year to be declared by Indian Ports Association (IPA) or any other Competent Authority decided by Government. Such automatic adjustment of the tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into effect from 1st April of the relevant year till 31st March of the following year.
- (xii) (a) From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed upfront tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.10. of the normative tariff guidelines, 2016 which will be applicable for the entire License period.
- (b) The operator, however, is entitled to 100% WPI indexation instead of 60% WPI indexation, from the second year of operation on achievement of performance standards as prescribed in the Berthing Policy vide letter No. PD-11033/73/2013-PT(pt) dated 16 June 2016 for dry bulk cargo as stipulated in clause 7.1. of the guidelines issued by the Ministry of Shipping for fixation of upfront tariff for stevedoring and shore handling operations. For break bulk cargo, the Performance Standards as notified along with this Scale of Rates will be applicable.

- (c) For this purpose, the Operator shall approach the concerned Major Port Authority within 30 days of completion of financial year of operation along with details of cargo wise average Performance Standard achieved for each cargo for both stevedoring and shore handling operations.
 - (d) The Major Port Authority shall ascertain the achievement of performance standards claimed to have been achieved by the operator by engaging Consultant if required in one month's time.
 - (e) The operator can apply 100% indexation instead of 60% on written confirmation by the Major Port Authority to the operator that it has achieved the Performance Standards notified along with the upfront tariff.
 - (f) In the event the Major Port Authority confirms that the operator has not achieved the Performance Standards prescribed in the Scale of Rates in previous 12 months, the operator will not be entitled for 100% WPI indexation. The operator will continue to levy the tariff with 60% indexation as prescribed at clause 2.9. of the normative tariff guidelines, 2016.
 - (g) The base period for WPI indexation would be 1 January 2025.
- (xiii) All the operators shall furnish to the Major Port Authority, an Annual Reports on cargo traffic, ship berth day output, per shift output within a month following the end of financial year in respect of stevedoring/ shore handling operations licensed by the port. Any other information which may be required by Major Port Authority shall also be furnished to them from time to time.
- (xiv) Major Port Authority shall publish on its website all such information received from operators. However, Major Port Authority shall consider a request from any operator about not publishing certain data/ information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/ information in question and the likely adverse impact on their revenue/operation of upon publication. Major Port Authority's decision in this regard would be final.
- (xv) The performance norms prescribed for various commodities shall be the minimum that should be achieved by the operator.
- (xvi) The performance actually achieved by the operator shall be monitored by Major Port Authority on a quarterly basis. In the event of any shortfall in achieving the performance prescribed, the Port may initiate action on the operator as per the terms contained in the agreement entered into with the operator by the Port.
- (xvii) In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the operator of the Performance Standards as notified by the Major Port Authority, he may prefer a representation to Major Port Authority which, thereafter, shall conduct an inquiry into

the representation. The Major Port Authority will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the contract conditions of the Agreement.

(xviii) In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto 0.50 shall be taken as 0.50 unit and fractions of 0.50 and above shall be treated as one unit, except where otherwise specified.

(xix) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the operator.

(xx) As per coastal policy direction issued by the Govt.

(a) The cargo/container related charges for all coastal cargo/containers, other than Thermal Coal, POL (including crude oil), Iron Ore and Iron Ore Pellets, should not exceed 60% of the corresponding charges for normal cargo/container related charges.

(b) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard including wharfage.

(c) In case of container related charges, the concession is applicable on composite box rate. Where itemized charges are levied, the concession will be on all the relevant charges for ship shore transfer and transfer from/to quay to/from storage yard as well as wharfage on cargo and containers.

(As and when there is a change in the policy direction issued by the MoPSW on the coastal concession policy, the same will be communicated by the port.)

(xxi) Wharfage, storage charges and other cargo related charges shall continue to be levied by the SMP, Kolkata as per its prevailing scale of rates.

(xxii) All taxes and duties, as may be applicable from time to time, including GST shall be paid extra.

(xxiii) This Scale of Rates shall be effective after 30 days from the date of notification of the rates in the State Gazette. The validity of the Upfront Tariff shall be in force for a period of Three (03) years from the effective date of implementation of the rates.

Part – II

S.1 Stevedoring and Shore Handling Agents working at Haldia Dock Complex, who will be issued license for undertaking such work under Kolkata Port Authority Stevedoring and Shore Handling Regulation, 2020 shall not levy charges exceeding the following rates :

S.2. Charges for Supply & Service of Equipment in hatches on-board ship at berth for discharging cargo by using ship's crane.

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)	
(a)	Charges for Supply & Service of Pay loader in hatches on-board ship at berth for discharging Dry Bulk cargo by using ship's crane.		
1.	All types of Import Dry Bulk Cargo	Foreign	Coastal
		12.71	7.63
(b) Charges for Supply & Service of Equipment in hatches on-board ship at berth for discharging Break Bulk cargo by using ship's crane.			
Sl. No.	Commodity	Foreign	Coastal
1.	Iron & Steel Products & other Break Bulk cargo (unit weight more than 5 MT.)	74.13	44.48
2.	Iron & Steel Products & other Break Bulk cargo (unit weight upto 5 MT.)	47.94	28.76
3.	Machinery, Project Cargo, Spare Part & Equipment etc.	63.92	38.35

Note :

- (i) The rates mentioned under S.2 will be applicable uniformly on the entire quantity of cargo discharged from the Ship at the Berth, irrespective of actual time of use of the equipment.
- (ii) On Board equipment services will include supply and service of suitable pay loaders/equipment on board for transfer/aggregation of cargo at Hatch square on the ship by transferring from other areas inside the hatch, including slinging and un-slinging of payloader/equipment for lifting up or lifting down on/from the ship.
- (iii) The rates under this section will also be applicable in respect of export cargo shipped by MHC/Ship's crane.

S.3 Charges for Shore Handling operation

(i) Charges for shore handling operation for Dry Bulk Cargo

Sl. No.	Commodity	Discharged by MHC / Ship's Crane and delivered directly from Jetty to consignee premises		Discharged by MHC / Ship's Crane and transferred & storage stored in area inside port premises	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
		Rates per Tonne (in Rs.)		Rates per Tonne (in Rs.)	
1.	All types of Import Dry Bulk Cargo. Note: For Thermal Coal, Iron Ore Fines, Lumps & Pellets only foreign rate shall be applicable.	45.38	27.23	116.15	70.18
2.	All types of Export Dry Bulk Cargo Note: For Thermal Coal, Iron Ore Fines, Lumps & Pellets only foreign rate shall be applicable.	45.38	27.23	108.40	65.26

Note : Additional transportation (for every additional KM or part thereof beyond 1 KM from Working Berth) shall be charged Rs.2.50 per MT.

(ii) Charges for shore handling operation for Break Bulk cargo

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)	
		Foreign	Coastal
(a)	Cargo Unloaded onto the wharf and transported to storage yard within port premises or vice versa		
1.	Iron & Steel Products & other Break Bulk cargo (unit weight more than 5 MT.)	289.08	173.45

2.	Iron & Steel Products & other Break Bulk Cargo (unit weight upto 5 MT.)	261.46	156.87
3.	Container (Laden & Empty) (In Rs. Per TEU) by ship's crane	1316.59	792.26
4.	Machinery, Project Cargo, Spare Parts & Equipment etc.	328.12	196.87
5.	All bag cargo (having unit weight upto 50 kg. net)	240.50	144.30

Note:

- (i) For transfer / delivery of cargo from jetty direct to consignee's premises, the above rate does not include supply of transport (for delivery) by the Handling Agent. The same shall be arranged by the concerned importer/exporter/receiver of cargo, at their own cost.
- (ii) Collection and cleaning of spillage cargo from jetty, road, rail track, stacking yard and other areas and properly stacking them at the designated areas as may be earmarked by concerned officer(s) of HDC.
- (iii) Stacking of cargo at the storage yard to be done as per requirement of the Principal.
- (iv) In case of bag cargo (Unit Bag weight upto 50 Kg), the shore handling charge includes supply of trucks by the handling agent for transportation of cargo between the jetty and the storage yard including loading & unloading on and from truck in such operation.
- (v) The rate mentioned at Column (4) above include charges for heaping/high-heaping of cargo at the storage yards within the stack high limits set by HDC.
- (vi) In case of break bulk cargo indicated as Sl. No. 1, 2, 3 and 4 the shore handling charges includes supply of trailer by the Handling Agent for transportation of the cargo between the jetty and the storage area including loading and unloading on & from trailer thereat.
- (vii) The rates under this section will also be applicable for shore handling operation in respect of export cargo shipped by MHC/Ship's Crane.
- (viii) For container exceeding 20 ft rates shall be levied at 1.5 times of TEU rate.

S.4 Charges for Delivery and Receiving Operation.

S.4.1 The charges for Delivery and Receiving operation will include one or more of the following services to be rendered by the Handling Agent by deploying his equipment, gear, labour and materials, as may be required.

- (i) Unloading at or loading from storage area from/onto trucks, lorries, dumpers, trailers etc. as the case may be.
- (ii) (a) Loading/unloading of wagons within stipulated time in extant Railway Board Notification prevailing from time to time.

In case of any failure on the part of the service provider in this regard, the demurrage /wagon hire charge accruing to the Principal shall be reimbursed to the Principal by the service provider.

(b) Proper loading of cargo on wagons shall be done as per arrangement agreed between the service provider and their Principal.

The maximum permissible under loading quantity vis-à-vis chargeable weight of the wagon (difference between the chargeable weight of wagon and actual weight of wagon after loading) in respect to Coal, Manganese Ore, Limestone and any other Dry Bulk cargo having stowage factor upto 1.5 cum per MT would be 2 (two) MT per wagon. In case of failure to maintain the said standard, the Agent shall be required to compensate the Principal the cost of railway freight incurred by the Principal against the quantity under loaded beyond 2 (two) MT per wagon. For all other dry bulk cargo whose stowage factor is more than 1.5 CBM per MT, such cargo is to be loaded upto maximum permissible height of the wagon.

(c) Maintaining close co-ordination with their Principal as well as HDC's Traffic Operations (Railways) Division in respect to the loading/unloading of rakes, adhering to all safety norms time being in force and taking all required action as per advise of Railway Division of HDC.

(iii) Stacking of cargo in the storage yard in case of receiving of cargo.

(iv) Deployment and service of trucks, lorries, trailers, as the case may be, for transportation of bag cargo, Project Cargo and Iron and Steel cargo and other break bulk cargo from/to storage spaces to/from wagon loading area, if necessary.

S.4.2. (a) Charges for Receiving of Dry Bulk cargo by road **manually** at the storage areas inside port premises.

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Dry Bulk cargo	83.59

(b) Charges for Delivery of Dry Bulk cargo by road **mechanically** through pay loaders, at the storage areas inside port premises.

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Dry Bulk cargo	34.83

S.4.3. Charges for Delivery of Dry Bulk cargo by rail, from the storage areas inside port premises (including aggregation of cargo at wagon loading area, post loading clearance and shifting back of balance cargo & restacking of the same in storage area).

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Dry Bulk Cargo	46.98

- S.4.4.** Charges for Receiving of Dry Bulk cargo by manual unloading from wagons, at the storage areas inside port premises including shifting of cargo from the wagon face to immediate back up area of the rail yard by equipment.

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Dry Bulk Cargo	110.81

- S.4.5.** Charges for Delivery/Receiving of Bagged cargo & Container by road, from/at the storage areas inside port premises.

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	All types of Bagged cargo (unit weight upto 50 kg net)	144.84
2a	Container Laden at Non-Mechanized yard (Rate per TEU)	1337.03
2b	Container Empty at Non-Mechanized yard (Rate per TEU)	668.52

For container exceeding 20 ft., rates shall be levied at 1.5 times of TEU rates.

- S.4.6.** Charges for Delivery / Receiving of Bagged cargo by rail, (including manual loading of cargo on trucks in shed, transportation of cargo from shed to wagons by trucks and subsequent loading of cargo from lorry onto wagons).

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	All types of Bagged cargo (unit weight upto 50 kg net)	314.78

- S.4.7.** Charges for Delivery/Receiving of Machinery, Project Cargo, Spare Parts & Equipment by road, from/at the storage areas inside port premises.

Sl. No.	Commodity		Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Machinery, Project Cargo,	Unit weight upto 15 MT.	124.10
2.	Spare Parts & Equipment etc.	Unit Weight more than 15 MT.	148.45

Note: The project cargo weighing more than 40 MT is unloaded/loaded directly on/from transport vehicles and no further loading/unloading is required at the time of

delivery/receiving.

- S.4.8.** Charges for Delivery / Receiving of Iron & Steel Cargo and other Break Bulk Cargo by road, from / at the storage areas inside port premises.

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Iron & Steel products and other Break Bulk Cargo (Unit Weight More than 5 MT)	130.02
2.	Iron & Steel products and other Break Bulk Cargo (Unit Weight Upto 5 MT)	85.93

- S.4.9.** Charges for Delivery / Receiving of Iron & Steel Cargo and other Break Bulk Cargo by rail (including loading of cargo on Trailers in storage area, transportation of cargo from shed to wagons by trailers and subsequent loading of cargo from trailers onto wagons).

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	Iron & Steel products and other Break Bulk Cargo (More than 5 MT)	197.32
2.	Iron & Steel products and other Break Bulk Cargo (Upto 5 MT)	150.95

- S.4.10.** Charges for loading/unloading operations on /from ships inside the impounded Dock of HDC of SMPK:

Charges for stevedoring operation (without Supply & Service of Equipment in hatches) for loading / unloading of Cargo by using ship's crane			
Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)	
		Foreign	Coastal
1.	Coking Coal, all types of Coal, Coke & Ore, Limestone, other dry bulk cargo not specified, discharged by Grabs.	31.37	18.82
2.	All types of Import and Export Dry Bulk Cargo by Sling.	33.22	19.93
3.	Fertilizer, Sugar, Salt (Discharged by Grab)	41.82	24.72
4.	Export Dry Bulk Cargo loaded by Grabs.	24.13	14.48
5.	Bagged Cargo (Having unit weight upto 50 Kg. net)	118.09	70.85
6.	Container (Laden/Empty) at Non-MHC Berth (Rate per TEU)	504.56	302.75
7.	On Board Lashing/ de- lashing of containers, fixing & unfixing of twist locks in vessels at Non-Mechanized Berth.	144.03	144.03
8.	Iron & Steel Products and other Break Bulk cargo (unit weight more than 5 MT.)	107.11	64.27

	Iron & Steel Products & other Break Bulk cargo (unit weight up to 5 MT.)	118.09	70.85
9.	Machinery, Project Cargo, Spare Part & Equipment etc.	135.96	81.58

- Note :** (i) The authorized agents shall undertake Loading / unloading of cargo to and from the sea going vessels at berths (except Berths equipped with Shore Cranes). The above rate is excluding of operation of equipment inside the hatches of the vessel.
- (ii) The authorized agents shall undertake cleaning of rib / frames and sweeping of cargo inside the hatches in case of import cargo, trimming of cargo inside the hatches in case of export cargo including sweeping of deck of the vessel as required.
- (iii) For Thermal Coal, Iron Ore, Lumps and Iron Ore Pellets, Coastal rates @ 60% of the foreign rates shall not be applicable.
- (iv) For container exceeding 20 ft rates shall be levied at 1.5 times of TEU rate.

S.4.11. Charges for transportation of dry bulk cargo from one storage yard to another storage yard within the dock premises or from storage yard to railway siding inside the dock premises and vice-versa :

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)
1.	All types of dry bulk cargo (Import & Export)	84.05

Note :

- (i) The rate mentioned above includes loading of cargo onto dumpers at the storage yard/ railway siding transportation to the destination point and unloading & storing of cargo at the unloading point/ railway siding as the case may be.
- (ii) The rate mentioned above includes collection and cleaning of spillage cargo from road, railway tracks, stacking yard and other areas and properly stacking them at the designated areas as may be earmarked by concerned officers of HDC.

S.5. Performance Standards :

S.5.1. Dry Bulk Cargo :

- (a) For the purpose of levy of rates under this SOR, achievement of the following productivity levels will be applicable.

Sl No.	Cargo Group	Productivity Norms in Tonnes per Ship -Day (In terms of the mode of operation)	
		By MHC (2 MHCs working simultaneously)	By Ship's Crane
1	All types of Coal	20,000	8,300

2	All types of Coke	20,000	7,800
3	Lime Stone	20,000	13,700
4	Manganese Ore	20,000	9,800
5	Iron Ore Fines, Pellets & Lumps	20,000	13,000
6	MOP, Rock Phosphate, Sulphur	20,000	8,000
7	Clinker, Gypsum	20,000	14,600
8	Sugar	20,000	8,000

Note :

- (i) In case of operation with single MHC, the productivity norms will be 10,000 MT per day.
 - (ii) The Stevedores and Shore Handling Agent will be required to match the aforesaid productivity norms or loading/unloading to ensure that there is no detention in loading/unloading operation of the vessel due to reasons attributable to the Stevedoring and Shore Handling agents.
- (b)** For the purpose of indexation of tariff to the extent of 100% of variation in WPI, the Performance Standards for Dry Bulk Cargo as prescribed in the Berthing Policy vide Letter no. PD-11033/73/2030-PT(pt) dated 16.06.2016 for dry bulk cargo as stipulated in Clause 7.1 of the Guidelines issued by the Ministry of Shipping for fixation of Upfront Tariff for Stevedoring and Shore Handling operation.

S.5.2 Break Bulk Cargo handled by Ship's Crane :

Sl. No.	Commodity	Productivity Norms per shift (MT)
1.	All Bag cargo	450
2.	Project Cargo, Machinery, Spares	300
3.	CR Sheets, HR Plates, Steel Sheets, Steel Slabs	805
4.	Steel Coils, HR Coils, WR Coils	1500
5.	Steel Billets, Steel Blooms, Steel Rails, Pipes and Tubes	903
6.	Container (Laden/Empty) at Non-mechanized Berths (In TEUs)	60

S.5.3 Norms for receipt and delivery operations

- (i) In case of Rail Borne Cargo, the Handling Agents are required to complete loading/unloading of cargo on/from the railway rakes within the stipulated free time as per the railway rules as may prevail from time to time. In case of failure to complete loading/unloading of the rake within the stipulated free time, demurrage as may be applicable will be payable by the Handling Agent to the Principal concerned.
- (ii) However, in case of Road Bound cargo no norms for loading/unloading of cargo for delivery/receiving can be fixed as the supply of transport depends on the Importers/Exporters and the handling agent have no role in it.

S.5.4 Standard equipment supply for shore handling operation of dry bulk cargo to maintain the Performance standards per vessel:

1. Dumpers per shift : 25 nos.
2. Payloaders on jetty per shift: 4 nos.
3. Payloaders at storage yard per shift including wagon loading : 5 nos.
4. Excavator per shift: 2 nos.

Part – III

Upfront tariff for Stevedoring and Shore Handling operations at Anchorage /Lighterage/Top up Points and Barge handling at Haldia Dock Complex (HDC) of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SMPK)

- S.1** The charges for loading/unloading operations on/ from vessels including deployment of equipment and manpower at Anchorage / Lighterage / Top Up Points to be adopted from the approved rates Kolkata Dock System.
- S.2** **Charges for loading/unloading operations on /from Barges inside the impounded Dock of HDC of SMPK:**

Charges for stevedoring operation including Supply & Service of Equipment in hatches for loading / unloading of Cargo by using shore crane / excavator			
SI. No.	Commodity	Rates per Tonne (in Rs.)	
		Foreign	Coastal
1.	Fertilizer Raw Materials, Rock Phosphate, Sulphur	98.23	58.94
2.	Sugar & All other Dry Bulk Cargo (Import)	76.87	46.12
3.	All types of Coal (Except Thermal Coal) - Import	68.00	40.80
4.	Thermal Coal - Import	63.15	63.15
5.	All export Dry Bulk Cargo	46.68	28.01
6.	Bag cargo having unit weight up to 50 Kg net	144.83	86.90
7.	Container (Laden / Empty) in TEUs (In Rs. Per TEU) #	2274.77	1364.86
8.	Iron & Steel Products, Project Cargo, Machinery and Spare, jumbo bags, all other breakbulk cargo (with equipment support inside hatch)	142.77	85.66
9.	Iron & Steel Products, Project Cargo, Machinery and Spare, jumbo bags all other breakbulk cargo (without equipment support inside hatch)	97.52	58.51

- Note:** i) For Thermal Coal, Iron Ore Fines, Lumps and Iron Ore Pellets, Coastal rates @ 60% of the foreign rates, shall not be applicable.
- ii) Rate per TEU in case of container includes Shore handling service also #
- iii) For container exceeding 20 ft rates shall be levied at 1.5 times of TEU rate.

- S.3** **Charges for shore handling operation in respect of cargo loaded/discharge on/from Barges inside the impounded dock**

(i) Charges for shore handling operation for Dry Bulk Cargo:

Sl. No	Commodity	Discharged by shore crane/excavator and delivered directly from jetty to consignee premises		Discharged by shore crane/ excavator and transferred & stored in storage area inside port premises	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		Rates per Tonne (in Rs.)			
		Foreign	Coastal	Foreign	Coastal
1	All types of import dry bulk cargo	51.97	31.18	140.48	84.29
2	All types of export dry bulk cargo	47.35	28.41	143.12	85.87

Note: For Thermal Coal, Iron Ore Fines, Lumps and Iron Ore Pellets, Coastal rates @ 60% of the foreign rates, shall not be applicable.

(ii) Charges for shore handling operation for Break Bulk Cargo:

Sl. No.	Commodity	Rates per Tonne (In Rs)	
(a)	Cargo Unloaded onto the wharf and transported to storage yard within port premises or vice versa		
		Foreign	Coastal
1.	Iron & Steel Products & other Break Bulk cargo (Unit weight more than 5 MT)	275.31	168.19
2.	Steel Billets, Steel Blooms, Steel Sheets, Steel Rails, WR Coils, Pipes & Tubes, Jumbo Bags, Wood Pulp & other break bulk cargo (Unit Weight upto 5 MT.)	274.53	164.72
3.	Bagged Cargo (Having unit weight up to 50 Kg net)	240.50	144.30
4.	Machinery, Project Cargo, Spare Parts & Equipment etc.	328.12	195.07

Notes :

- (i) For Transport/Delivery of cargo from jetty direct to consignee's premises, the above rates does not include supply of transport (for delivery) by the Handling Agents. The same shall be arranged by the concerned Importers/Exporters/Receivers of the cargo at their own cost.
- (ii) In case of bag cargo (Unit bag weight upto 50 kg net), the Shore Handling Charge includes supply of trucks by the Handling Agent for transportation of cargo between the Jetty and the storage yard including loading and unloading on & from truck in such operations.

- (iii) The rate mentioned at column (4) of S.3 (i) above includes charges for heaping/high heaping of Dry Bulk Cargo at Storage Yard.
- (iv) In case of Break Bulk Cargo, the Shore Handling Charges includes supply of trailers by the Handling Agent for transportation of the cargo between the Jetty and the storage area including Loading and Unloading on & from trailers thereat.

S.4. Charges and modalities for Delivery/Receiving operations of Cargo loaded/unloaded from/to Barges will be same as stated against S.4.1 to S.4.9 of Part II above.

S.5. Performance Standards for loading/unloading of Dry Bulk Cargo on/from Barge inside the Impound Dock is as follows :

For the purpose of levy of rates for cargo handling operations in respect of Barges, achievement of the following productivity levels will be applicable.

Sl No.	Commodity	Productivity norms in Tones per ship day
1.	Iron Ore and Iron Ore Pellets	3500
2.	Thermal Coal	2800
3.	All types of Coal (except Thermal Coal)	2600
4.	Lime Stone	2400
5.	Manganese Ore	2310
6.	Met Coke	2310
7.	Rock Phosphate and Sulphur	1800
8.	Cement Clinker	2000
9.	Gypsum	2400
10.	Sugar and all other dry bulk cargo	2000
11.	Bag Cargo (containing fertilizer, food gains, sugar, cement etc. having unite weight upto 50kg)	600
12.	Container (Laden/Empty) at Non-MHC Berths (In TEUs)	60
13.	Iron and Steel products, project cargo, Machinery & Spare parts (with equipment support inside Hatch)	900
14.	Iron and Steel products, project cargo, Machinery & Spare parts (without equipment support inside Hatch)	900

Note :

- (i) The Performance Standards has been considered for operation with single shore crane/excavator.
- (ii) The Shore Handling Agents will be required to match aforesaid productivity norms of loading/unloading to ensure that there is no detention in loading/unloading operation of the Barge due to reasons attributable to the Stevedoring and Shore Handling Agent.

S.6. Norms for Receipt of Delivery operation in respect of cargo handling through Barges.

- (i) In case of Rail Borne cargo the handling agents are required to complete loading/unloading cargo on/from the Railway Rakes within the stipulated time as per the Railway Rules as may prevail from time to time. In case of failure to complete loading/unloading of the rake within stipulated free time, demurrage as may be applicable will be payable by the handling agent to the Importer/Exporter concerned.
- (ii) However, in case of Road Bound Cargo no norms for Loading/Unloading of cargo for delivery/receiving can be fixed as the supply of transport depends on the Importer/Exporter and the Handling Agents have no role in it.

Part-IV

Charges for additional services offered by Stevedoring and Shore Handling agents to Importers / Exporters of dry bulk cargo not included under any services mentioned in Part-II & III.

The stevedoring and shore handling agents may levy additional charges for the services provided by them for handling of dry bulk cargo if requested by their Principal. Such services are optional and are not included in the charges for Stevedoring and Shore Handling charges mentioned in Part-II & III.

Sl. No.	Service	Rate in Rs per Tonne (in Rs.)
1	Supply of labour for Railway dispatch of Import Cargo: i) Cleaning of empty wagons placed for loading and delivery of Import cargo as and when required; ii) Stacking of wagon sweeping material at designated areas as earmarked by HDC; iii) Opening and closing of wagon doors including secured locking of the doors with wooden pegs/wire as required by the Principal; iv) Trimming & lime spraying on import cargo in wagon; v) Covering of wagons with tarpaulin covers as per requirement of Principal; vi) Fixing of labels of wagon as per requirement of Principal wagons, laying of bamboo mats as per requirement; vii) All other ancillary services required for dispatch of dry bulk cargo in wagons;	15.00
2	Cargo storage related services at plot including sweeping, collecting, re-stacking, recovery, de-watering by pump, fire extinguishing, cargo mixing, water sprinkling for dust suppression, all types of ancillary service etc.	20.00
3	Tarpaulin covering in Plot per month or part thereof (including supply of Tarpaulin)	5.42
4	Stock accounting, clerkage, permit expenses, any other documentation and secretarial service.	5.00
		Rate per Shift (In Rs.)
5	Additional equipment (including Fuel and Operator) : (a) Payloader per Unit. (b) Dumper per Unit. (c) Excavator per Unit.	(a) Rs. 15,000/- per shift. (b) Rs. 6,500/- per shift. (c) Rs. 15,000/- per shift.

	Note for Sr No-5: 1. The charge shall be applicable only if the deployment of equipment is required to be done in excess of standard deployment as per Clause S 5.4 in situations like concurrent storage and/or high heaping of cargo in multiple plots. 2. The deployment of additional equipment should be done only against specific request or with specific concurrence of the Principal.	
6	Supply of Tarpaulin and other miscellaneous materials in connection for rail dispatch, as per requirement of Principal.	Procurement Cost of material plus 10% handling charges. The charges shall be recovered on Rs per Rake or Rs per wagon basis.

-Sd-
(C. Chatterjee)
Secretary
for and on behalf of
The Board of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata